

प्रेषक,

शंभू शरण, भाष्प्र०से०

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में

महालेखाकार (लै० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा— सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— ०५/०९/२०२५

विषय:— पटना जिलान्तर्गत विक्रम में ट्रामा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 9,64,69,690/- (रुपये नौ करोड़ चौसठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ नब्बे) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक—9566, दिनांक—15.01.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पटना जिलान्तर्गत विक्रम में ट्रामा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु कुल रु० 9,64,69,690/- (रुपये नौ करोड़ चौसठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ नब्बे) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:—

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी सतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि सबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी सबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी सबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vi) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मारिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छ. मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राककलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3— उक्त कार्य मांग संख्या—20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष— 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—01— शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष—110— अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष— 0113—जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार विपत्र कोड—20-4210011100113, विषय शीर्ष— (53—01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

4— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिंग, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6— बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561 वि0(2), दिनांक—17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक—27.11.2007, 3758 /वि0, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888 /वि0, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9— प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक—22.01.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक—378(7), दिनांक—22.01.2025 के क्रम संख्या—01 में स्वीकृति प्राप्त है।

10— प्रस्ताव में स्कीम स्क्रीनिंग संगिति की दिनांक—22.01.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक—183 /लो0वि0 /यो0वि0, दिनांक—24.01.2025 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।


11— प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7 /बजट—46—34 /2024—25 के पृष्ठ—08 /टिंग में प्राप्त है।

13— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

14— संबंधित प्रस्ताव गे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(शंभू सारण)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक:- ५१२ (७)

/स्वा०, पटना, दिनांक-०५/०८/२०२५

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिंग, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना/असौनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशास्त्र पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-७, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव ।
